नहर में गिरे बाइक सवार, दो की मौत

एसडीआरएफ की मदद से बाइक सवार तीसरे युवक की जान बची

नवभारत न्यूज

रीवा, 6 जनवरी, रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में बीती रात्रि बाइक सवार तीन युवक बाइक सहित नहर में जा गिरे गिरे. इस दौरान एक युवक को देर रात ही बचा लिया गया था जबकि दो युवकों के शव आज सुबह निकले गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मनोज विश्वकर्मा निवासी पडरा थाना सिविल लाइन और शिवम विश्वकर्मा निवासी ग्राम पहाड़ीखेरा जिला सतना अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक से जा रहे थे. बीती रात्रि सेमरिया

थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पुलिस चौकी क्षेत्र क्षेत्र में नहर में बाइक सहित तीनों युवक जा गिरे. इस दौरान एक युवक को देर रात ही ग्रामीणों ने नहर से बाहर निकाल लिया था. जबकि सुबह मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम के उप निरीक्षक विकास पांडे के नेतृत्व में टीम ने नहर में सर्चिंग करते हुए मनोज विश्वकर्मा और शिवम विश्वकर्मा के शव को नहर से बाहर निकला हैं. जिन्हें पीएम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सेमरिया पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल

मऊगंज जिले के कटरा मऊगंज मार्ग पर महेवा गांव के पास बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सोमवार की रात घटी दुर्घटना में घायल युवक सड़क पर कराहता पड़ा रहा लेकिन किसी ने मदद नहीं की इस दौरान नईगढ़ी थाना पुलिस की 112 वाहन उस मार्ग से गुजरा तो देखा कि सड़क के किनारे कोई खून से लथपथ पड़ा है. वाहन चालक एवं पुलिस टीम द्वारा सड़क पर तड़पते घायल को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी पहुंचा गया. घायल के सिर एवं पैरों में गंभीर चोटें आई है उसकी पहचान नहीं हो पाई है, वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था सिर्फ अपना नाम पप्पू गिरी निवासी फैजाबाद बता रहा था .अज्ञात वाहन की ठोकर से गंभीर रूप से घायल युवक की हालत ठीक न होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार उपरांत संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया है.

मुन्नाभाई आरक्षक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

- 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने दिया दण्डादेश

नवभारत न्यूज

सतना 6 जनवरी. आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जब प्रशिक्षण शुरु हुआ तो मुन्नाभाई ठीक से हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहा था. मामला संदिग्ध नजर आने पर जब जांच की गई तो मालुम हुआ कि मुन्नाभाई ने धोखाधड़ी कर आरक्षक की नौकरी पाई थी. 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.

अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना भूपेश कुमार मिश्रा के न्यायालय द्वारा आरोपी टिंकु कुमार यादव पिता अरविंद उम्र 34 वर्ष निवासी बरौंधा शंभूगंज बांका बिहार को धारा 420 आईपीसी और मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अंतर्गत 2 वर्ष और 1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 1 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा द्वारा की गई. पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के पर विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराए गए और दस्तावेजों के जब्ती की कार्रवाई की गई. जिसके बाद न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ. लंबी चली सुनवाई के बाद अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश पारित किया गया.

हिंदी न पढ़ पाने से हुआ संदेह

अभियोजन प्रवक्ता के अनुसार मामला वर्ष आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2013 का है. परीक्षा में सफल होने के बाद टिंकू कुमार की तैनाती बतौर आरक्षक कटनी जिले में हुई. लेकिन प्रशिक्षण के दौरान जब वह हिंदू भी ठीक से नहीं पढ़ा पाया तो उसका चयन संदेह के घेरे में आ गया. जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा टिंकू के दस्तावेजों की जांच शुरु की गई. इस दौरान यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि ओएमआर शीट पर जो अंगूठे के निशान और टिंकू के अंगूठे के निशान अलग अलग निकले. जिसे देखते हुए माधव नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. चूंकि आरक्षक भर्ती की परीक्षा कोलगवां थाना अंतर्गत शहर के विद्यालय में दी गई थी. लिहाजा मामले को वहां भेज दिया गया.

मोरवा के बायोफ्यूल प्लांट में भीषण आग

घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी। मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ताली स्थित बायोफ्यूल प्लांट में आज दिन मंगलवार दोपहर अचानक आग भड़क उठी। आग की शुरुआत प्लांट परिसर में खुले में पड़े पुआल से हुई, जिसने देखते ही देखते पास स्थित प्लांट को भी अपनी चपेट में ले लिया।

जानकारी के अनुसार मोरवा निवासी सुरेंद्र जैन द्वारा संचालित आरएजे बायो फ्यूल प्लांट में पुआल, धान के भूसे सहित अन्य सामग्री से बायोफ्यूल तैयार कर एनटीपीसी को सप्लाई किया जाता है। दोपहर करीब 2 बजे आग लगते ही प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। स्थिति बिगड़ते देख तत्काल मोरवा थाना और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर मोरवा नगर निगम की दमकल गाड़ियाँ व मोरवा पुलिस पहुंची।

आग की गंभीरता को देखते हुए एनसीएल झिंगुरदह तथा सीडब्ल्यूएस जयंत से भी दमकल वाहनों को बुलाया गया। आग बुझाने के लिए प्लांट के टीनशेड को काटकर भीतर तक पानी डाला गया। देर शाम तक करीब छः दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन प्लांट में रखे कच्चे माल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए : आर्य

एनटीपीसी विंध्यनगर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की समीक्षा बैठक, योजनाओं की प्रगति पर मंथन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी। जिले के तीन दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में आज दिन मंगलवार को एनटीपीसी विंध्यनगर स्थित सूर्या भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में संचालित अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं की स्थिति, प्रगति और जमीनी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में आ

रही व्यावहारिक समस्याओं, लंबित प्रकरणों तथा लाभार्थियों तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जनजाति समाज के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के उपरांत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह एवं एनटीपीसी परियोजना प्रमुख के साथ विंध्याचल पावर प्लांट का भ्रमण किया। इस दौरान परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी, सामाजिक एवं पुनर्वास से संबंधित पहलुओं पर जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक सुभाष वर्मा भी उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष ने पावर प्लांट से प्रभावित क्षेत्रों और स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता जताई।

इनकी रही उपस्थिति

इस उच्चस्तरीय बैठक में सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह, ननि अध्यक्ष देवेश पांडेय, आरके दुबे सहित अनुसूचित जनजाति विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पश्चिम मध्य रेल

विद्युत शाखा, खुली निविदा

निविदा दिनांकः 01.01.2026 ई–निविदा

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस) पश्चिम मध्य रेल नई कटनी जंक्शन, भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यें हेतु ई–निविदा आमंत्रित करता हैं। निविदा सूचना क्रमांकः एनकेजे–डी–लोको–वाशिंग–टी–25 दिनांक 01/01/2026, कार्य का नाम लोकेशन सहितः डीजल लोको शेड, नई कटनी जं. में 02 वर्ष के लिए एसी लोकोमोटिव की सफाई और धुलाई का कार्य।, निविदा का अनुमानित मूल्य (रूपये में): रू. 23,03,303.08/–, अर्नेस्टमनी/बिड सिक्योरिटी राशि (रूपये में): रू. 46,100/–, समापन अवधि (माह): 24 माह, निविदा भरने की अंतिम तिथि एवं समय (12.00 बजे तक): 23.01.2026। उपरोक्त ई–निविदा की संपूर्ण जानकारी वेबसाईट "http://ireps.gov.in" पर उपलब्ध है। ई–निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

हस्ता.

कृते वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस), पश्चिम मध्य रेल, नई कटनी जंक्शन

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में फरार इनामी तीसरा आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सीधी, 6 जनवरी. सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में 20 हजार रुपये के फरार इनामी तीसरे आरोपी नीलेश रजक को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया।

ऑपरेशन ट्रैप के अंतर्गत भौतिक एवं तकनीकी दक्षता से यह निर्णायक कामयाबी मिली। सामूहिक दुष्कर्म के जघन्य प्रकरण में पूर्व में एक आरोपी एवं एक विधि विरुद्ध बालक को

गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 20 हजार रुपये का इनामी तीसरा आरोपी नीलेश रजक लंबे समय से फरार चल रहा था। उक्त फरार आरोपी नीलेश रजक को सीधी पुलिस द्वारा भोपाल से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक सीधी के सशक्त निर्देशन में निरंतर प्रयासशीलता, उन्नत तकनीकी विश्लेषण एवं बौद्धिक दक्षता का प्रत्यक्ष परिणाम है। आरोपी नीलेश रजक की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में कई संभावित स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी, किंतु आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह करता रहा। हाल ही में प्राप्त तकनीकी एवं खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी के भोपाल में होने की पुष्टि हुई। सूचना का सत्यापन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम नें आरोपी को भोपाल के सघन बस्ती से गिरफ्तार कर लिया।

कलेक्टर ने की 225 आवेदन पत्रो पर जन सुनवाई

सिंगरौली 6 जनवरी। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जनसुनवाई में कलेक्टर गौरव बैनल ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आये 225 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य मार्ग बना हादसों का कारण, बिखरी बालू ने बाइक सवारों को गिराया

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी। जिला मुख्यालय बैढ़न में आज दिन मंगलवार की सुबह एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जब ताली से लेकर बिलौंजी तक के मुख्य मार्ग पर सड़क पर भारी मात्रा में बालू बिखरी मिली।

बताया जा रहा है कि कचनी माजन मोड़ की ओर से नवजीवन बिहार की तरफ जाते समय किसी वाहन से बालू गिर गई, लेकिन इसकी मात्रा इतनी अधिक थी कि सड़क कुछ देर के लिए फिसलन भरा जाल बन गई। सुबह के समय जब लोग रोजमर्रा के काम से

निकल रहे थे, तभी कई बाइक सवार रेत पर फिसलकर गिर पड़े और घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन यह घटना प्रशासनिक लापरवाही की ओर साफ इशारा कर रही है। सवाल यह है कि मुख्य मार्ग पर इतनी बड़ी मात्रा में रेत कैसे गिरी और जिम्मेदार वाहन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिक निगम के सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में सड़क से बालू हटाने का काम शुरू किया।

इस दौरान आसपास के मोहल्ले के लोग भी खुद फावड़ा उठाकर रेत हटाने में जुट गए, ताकि अन्य लोग हादसे का शिकार न हों। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि खनिज परिवहन पर निगरानी कहां है, क्या बिना ढंके वाहन खुलेआम रेत ढो रहे हैं और आम लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने दोषी वाहन चालक व ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

फांसी लगाकर युवक ने दी जान

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी। जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बौडिहार में आज दिन मंगलवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मृतक की पहचान नर्मदा सिंह पिता तेजू सिंह गौड़ उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार युवक ने अज्ञात कारणों के चलते यह आत्मघाती कदम उठाया, हालांकि आत्महत्या के पीछे की स्पष्ट वजह फिलहाल सामने नहीं आ सकी है।घटना की जानकारी मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवाया और प्रारंभिक जांच के बाद पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक सामान्य स्वभाव का था, जिससे घटना से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस परिजनों से पूछतांछ कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

एजेंसी देनी है

आपका सबसे पुराना, विश्वसनीय, निष्पक्ष समाचार पत्र **नवभारत** सतना को बिरसिंहपुर, जैतवारा, उचेहरा, पोंड़ी, पिंडरा, सिंहपुर, रैगांव, ताला, बड़ा इटवा, पहाड़ी खेरा, सरलानगर (मैहर) आदि स्थानों पर एजेंसी देना है इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें।

मो. नं.- 9098286391, 7828109523

International Institute for Population Sciences

(Deemed to be University)

Under the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

Govandi Station Road, Deonar, Mumbai 400 088

Website: https://www.iipsindia.ac.in

ADMISSION ANNOUNCEMENT FOR THE ACADEMIC YEAR 2026–2027 THROUGH CUET-PG

This is to inform all prospective candidates that the admission process for the Academic Year 2026–2027 will be conducted through the **Common University Entrance Test for Postgraduate Programmes (CUET-PG).** All the candidates who wish to apply for the following postgraduate programmes at IIPS are required to appear for the **CUET-PG** exam:

1. **Master of Arts / Science in Population Studies**
2. **Master of Science in Biostatistics and Demography**
3. **Master of Science in Survey Research and Data Analytics**

The Institute provides a **Government of India fellowship of Rs. 5,000/- per month and hostel accommodation to** all the students admitted to these programmes.

For detailed information on the CUET process, programmes offered, eligibility criteria, and to submit your application, please click the link given below: **https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/**

Director & Senior Professor (Additional Charge)

नशे में धुत बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिरा, घायल

इलाज के लिए कराया गया भर्ती

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी। जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधौरा चौकी के चौरा चौराहे के पास आज दिन मंगलवार की दोपहर करीब 2:30 बजे एक बाइक सवार नशे की हालत में अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया।

हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को उठाकर उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार अधिक नहीं थी, लेकिन चालक नशे में होने के कारण वाहन पर संतुलन नहीं बना सका और अचानक गिर पड़ा। घायल युवक की पहचान शोबरन साहू निवासी कर्सुआ राजा के रूप में हुई है। चिकित्सकों के मुताबिक युवक को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं, हालांकि उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।घटना की सूचना बंधौरा चौकी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।

तेलगवां वार्ड क्रमांक–36 में बिजली संकट

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी। जिले की तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेलगवां, वार्ड क्रमांक 36 में लंबे समय से जारी बिजली आपूर्ति की समस्या ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है।इसको लेकर ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि गांव में कई दिनों तक बिजली गुल रहती है, वहीं कभी-कभी बेहद कम वोल्टेज आने से पंखे, कूलर, मोटर पंप और अन्य विद्युत उपकरण बेकार साबित हो रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की अनियमितता आपूर्ति से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, साथ ही किसानों को सिंचाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय अंधेरे के कारण गांव में असुरक्षा का माहौल भी बना रहता है। कई बार बिजली विभाग को शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। आवेदन में बताया गया कि गांव में लगे विद्युत तार जर्जर हो चुके हैं और ट्रांसफार्मर की क्षमता भी अपर्याप्त है। समय पर मरम्मत और निरीक्षण नहीं होने से आए दिन फॉल्ट की स्थिति बन रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि वार्ड में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए और पुराने तारों को शीघ्र बदला जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।

एनसीएल ने की ऊर्जा सुरक्षा व पर्यावरणीय संतुलन पर कार्यशाला

- विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने शिरकत कर दिया मार्गदर्शन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी। कोल इंडिया की सिंगरौली स्थित अनुषंगी कंपनी एनसीएल ने ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरणीय दायित्व के संतुलन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

आज दिन मंगलवार को आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला की विशेषता यह रही कि इंद्र पाल सिंह मथारू की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यगणों ने प्रतिभाग करते हुए पर्यावरण संतुलन के

साथ सतत विकास पर अपना मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में एनसीएल से निदेशक मनीष कुमार, निदेशक रजनीश नारायण, सुनील प्रसाद सिंह, निदेशक आशुतोष द्विवेदी, मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय कुमार जायसवाल, निदेशक सीएमपीडीआईएल राजीव कुमार सिन्हा, एनसीएल की परियोजनाओं के महाप्रबंधकण विभागाध्यक्ष व अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मथारू ने बतौर मुख्य अतिथि, कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने भारत की प्रकृति-पूजक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि सततता केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि समय की अनिवार्यता है। उन्होंने जोर दिया कि विकास को नैतिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि समाज, स्थानीय समुदाय और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या LNMERWA000075789 (पुराना) 80300005825353 (नया) (ऋण खाता संख्या LNMERWA000104434 (पुराना) 80300005828451 (नया) (रीवा शाखा) श्री रत्नेश मधुकर (उधारकर्ता) श्री अरुण कुमार मधुकर, श्रीमती निशा मधुकर (सह-उधारकर्ता)	20.12.2025 रू. 31,29,615/- (19.12.2025 तक)	खसरा संख्या 25/3, क्षेत्रफल 0.034 हेक्टेयर (3720 वर्ग फुट), पीएच संख्या 36, वार्ड संख्या 7, मौजा सागरा कला पीएच आम्हा वासुदेव, तहसील हनुमान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश-486335 में स्थित भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः एम.पी. सिंह का घर, दक्षिणः सड़क, पूर्वः एम.पी. सिंह का घर, पश्चिमः सड़क

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः मध्यप्रदेश

दिनांकः 07.01.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा मौजा कोलगवां, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी * फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99